**बिहार सरकार**

**योजना एवं विकास विभाग**

**(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)**

पत्रांकः स्था0 02/02-02/2016/......18......... /पटना, दिनांक......24-08-17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

**जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,** पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, बेगूसराय, खगड़िया, लखिसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण एवं वैशाली।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 15080000/-(एक करोड़ पच्चास लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, 0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, **जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454021110001** है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 22 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।



6

9. व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं मद में आवंटित राशि का भुगतान वाह्यस्त्रोत (ब्राईट इन्टलीजेन्स सिक्युरिटीज सर्विसेज पटना) से निदेशालय/मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत बल के विरुद्ध सेवा प्राप्त कार्यालय परिचारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान पर किया जाना है।

10. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NILET) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना सुनिश्चित करेगें।

11. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्षो -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित आवंटित है, में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।

12. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

23/8/17 — बजट सहायक | 23-8-17 — प्रशाखा पदाधिकारी | 23/8/17 — सहायक निदेशक | 24/8/17 — निदेशक

ज्ञापांक ......18....../पटना, दिनांक ......24/08/17......

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/8/17

24/8/17

निदेशक

ज्ञापांक ......18....../पटना, दिनांक ......24.08.17......

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/17

23/8/17

निदेशक

ज्ञापांक ......18....../पटना, दिनांक......24.08.17......

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।

2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

24/8/17

निदेशक

23/8/17